



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249518
CG-DL-E-18102023-249518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 17, 2023/अश्विन 25, 1945

No. 596]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. 750(अ).— अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) संशोधन नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 में, नियम 4 में, उप-नियम (2) में द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अन्तर्वेशित किया जाएगा, नामतः--

“बशर्ते यह भी कि पुननिर्धारित संख्याबल और ऐसे प्रत्येक संवर्ग की संरचना केवल राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से ही भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी।”

[फा.सं. 11052/03/2018-अ.भा.से.-II (क)]

जे. अशोक कुमार, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी: प्रधान नियम, दिनांक 08 सितम्बर, 1954 के सा.का.नि.सं. 152 के माध्यम से भारत के राजपत्र, भाग- II, खण्ड 3, उप-खण्ड(i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख
1.	115	28.02.1958
2.	1717	05.12.1964
3.	1718	05.12.1964
4.	279	22.03.1973
5.	524	01.05.1974
6.	56	18.01.1975
7.	899	26.07.1975
8.	1464	16.10.1975
9.	213अ	14.03.1984
10.	909अ	11.11.1987
11.	128अ	10.03.1995
12.	289	05.08.2000
13.	502अ	24.08.2006
14.	67 (अ)	28.01.2014

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

G.S.R. 750(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, namely:-

- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Cadre) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, in rule 4, in sub-rule (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the redetermined strength and composition of each such cadre shall be applicable only prospectively from the date of notification in the Official Gazette.”

[F. No. 11052/03/2018-AIS-II(A)]

J. ASHOK KUMAR, Director (Services)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide GSR No.152 dated the 8th September, 1954 and subsequently amended by notification vide number:

S. No.	GSR No.	Date
1.	115	28.02.1958
2.	1717	05.12.1964

3.	1718	05.12.1964
4.	279	22.03.1973
5.	524	01.05.1974
6.	56	18.01.1975
7.	899	26.07.1975
8.	1464	16.10.1975
9.	213E	14.03.1984
10.	909E	11.11.1987
11.	128E	10.03.1995
12.	289	05.08.2000
13.	502E	24.08.2006
14.	67 (E)	28.01.2014